बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

श्री राम नन्दन पंडित, सहायक अधीक्षक के विरूद्ध उनके मंडल कारा, बिहारशरीफ में पदस्थापन के दौरान दिनांक 23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "जेल में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक "से संबंधित मामले की जाँच जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा की गई। जाँचोपरान्त इनके विरूद्ध प्रावधान के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश/अनुमति प्राप्त किये कारा के अन्दर बाहरी कारीगरों को जाने देना तथा भारी मात्रा में सामग्रियों को बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के कारा में प्रवेश कराने एवं बिहार कारा हस्तक के नियम 828 (iii) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 2092 दिनांक 05.04.2016 के द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री नीरज कुमार झा अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री जलज कुमार उपाधीक्षक, उपकारा, बाढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पंडित के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 4827 दिनांक 10.08.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री पंडित से द्वितीय कारण पृच्छा की गई जिसके अनुपालन में श्री पंडित द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जवाब समर्पित किया गया।

2 **श्री पंडित के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपवार स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी का अधिगम एवं द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव निम्नवत् है :–**

आरोप संख्या–(i) दिनांक–23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र " दैनिक भास्कर " पटना के एक समाचार पत्र में "जेल" में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार का महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के संज्ञान पर जिला पदाधिकारी, नालंदा के द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच कराई गई, जिसमें कई बिन्दुओं पर विसंगतियाँ एवं प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवेदित है, जिससे इनकी कर्त्तव्यहीनता, प्रशासनिक विफलता तथा नियम विरूद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

स्पष्टीकरण :– अपने स्पष्टीकरण में श्री पंडित ने उल्लेख किया है कि दिनांक– 27.01.2016 को अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ एवं वृताधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर पटना, दिनांक–17.02.2016 को जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं दिनांक–22.07.2014, 15.05.2015 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालंदा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नालंदा के द्वारा भी कारा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध किसी भी तरह की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि उनके उपर लगाये गये आरोप असत्य है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–1944 दिनांक–25.03.2016 द्वारा त्रिसदस्यीय संयुक्त जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित है कि होली के अवसर पर दिनांक–22.03.2016 तथा 23.03.2016 को मंडल कारा, बिहारशरीफ में श्री राम नन्दन पंडित, सहायक अधीक्षक के मौखिक सहमति के आधार पर कारा के बाहर से खाना बनाने वाले कारीगर (Cook) को बुलाकर मुख्य रसोईघर में निर्धारित विशेष भोजन के मेन्यू के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के विशेष पकवान आदि बनाये गये। कारा परिसर में इस तरह बिना किसी लिखित आदेश के एवं प्रावधान के cooks को अन्दर भेजना, सामग्रियों का इतनी बड़ी मात्रा में बिना किसी प्रविष्टि के कारा में खुला प्रवेश इत्यादि कारा एवं कैदियों की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। कारा के महत्वपूर्ण पंजियों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जा रहा है एवं उसमें Manipulation किया जा रहा है। दिनांक–22.03.2016 तथा 23.03.2016 को भोजन पकाने हेतु जो सामग्री जेल गेट के भीतर लायी गई थी उसमें बहुत सारे सामग्री की प्रविष्ठि जेल गेट सामग्री पंजी एवं भंडार पंजी पर दर्ज नहीं की गई थी। जैसे 125 कि0ग्रा0 चावल (25 कि0ग्रा0 का 05 बोरा), खस्सी का मीट लगभग 110 कि0ग्रा0 (एक सौ दस किलो) इत्यादि तथा इसके अलावे अन्य सामग्री जो जेल गेट सामग्री पंजी में दर्ज है उसमें मात्रा दर्ज नहीं किया गया है। जेल गेट सामग्री पंजी भी सहायक अधीक्षक की अभिरक्षा में रखा जाता है एवं उसमें अपनी सुविधानुसार प्रविष्ठि की जाती है।

नियमानुसार कारा के ही बंदियों के भोजन समिति द्वारा जेल Diet Menu के अनुसार खाना बनाया जाना चाहिए था। किसी भी परिस्थिति में बाहर से कारीगर बुलाकर खाना बनाने का आदेश नहीं

दिया जाना चाहिए था। सहायक अधीक्षक, रामनन्दन पंडित गोदाम प्रभारी हैं बंदियों के भोजन बनाने हेतु इन्हें प्रतिदिन राशन निर्गत करना है और मेन्यू के अनुसार खाना बनाने की जबावदेही इनकी है, जबकि इनके द्वारा लिखा गया है कि दिनांक– 23.03.2016 को क्या बना है इसकी जानकारी इनको नहीं है। कारा में मँगाये जाने वाले सभी सामग्रियों की प्रविष्ठि गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकल में किया जाना है। इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकल जो गेट में रहना चाहिए इनके Custudy में रहता है। **अतः उपरोक्त कृत्य हेतु वे दोषी है।**

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :–अपने द्वितीय कारण पृच्छा जबाव में श्री पंडित ने कहा है कि दिनांक 20.03.16 को बंदियों के आवेदन पर होली के उपलक्ष्य में विशेष भोजन हेतु भोजन समिति द्वारा निर्णय लिया गया था, जिस पर कारा अधीक्षक का आदेश प्राप्त था एवं मिनट बुक में दर्ज है। दिनांक 20.03.16 को ही खाद्य सामग्री संवेदक श्री सुरेन्द्र प्रसाद एवं भोजन बनाने के लिए कारीगर संवेदक श्री अरूण कुमार द्वारा लेने का निर्णय लिया गया था। सभी वाडों के बंदी इन्चार्जो को दिनांक 22.03.16 एवं 23.03.16 को भोजन बदलकर देने की पुष्टि कर दी गई थी। तिथि अनुसार बंदियों को होली के अवसर पर विशेष भोजन दिया गया, ताकि कारा के अर्न्तगत किसी भी तरह की अशान्ति एवं सुरक्षा भंग न हो।

आरोप संख्या–(ii) कारा में महत्वपूर्ण पंजियों का नियामनुसार संधारण इनके द्वारा नहीं किया गया है एवं उसमे manipulation किया जाता रहा है। वास्तविक रूप में जो सामग्रियाँ कारा के अंदर लायी जाती है, उसकी प्रविष्टि कारा गेट पंजी में तत्क्षण नहीं की जाती थी।

जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि दिनांक–22.03.2016 तथा 23.03.2016 को भोजन बनाने हेतु जो भी सामग्री जेल गेट के भीतर लायी गयी थी, उसमें बहुत सारे सामग्री की प्रविष्टि जेल गेट सामग्री पंजी एवं भंडार पंजी में दर्ज नहीं की गई थी।

स्पष्टीकरण :–श्री पंडित ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि जेल में महत्वपूर्ण पंजियों यथा बिक्री बही, भंडार पंजी, रोकड़ पंजी इत्यादि का नियमानुसार संधारण किया जाता है तथा उसमें किसी भी प्रकार Manipulation नहीं किया जाता है। वृत्ताधीक्षक, जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि दिनांक–22.03.2016 तथा 23.03.2016 को बंदियों को दिये गये विशेष पकवान बिहार कारा हस्तक नियम, 168 के तहत तथा बिहार कारा हस्तक नियम, 164(ii) के तहत बंदियों के आहार में विनिमय (Exchange) कर दिया गया था। दिनांक– 22.03.2016 तथा 23.03.2016 को कारा में सामग्रियों की प्रविष्टि नहीं किया जाना संभवतः होली पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए कारा की विधि व्यवस्था में व्यस्त होने की वजह से सामग्रियों की प्रविष्टि नहीं की जा सकी। दिनांक– 22.03.2016 तथा 23.03.2016 को विशेष भोजन बनाने में उपयोग हुई सामग्रियों में बहुत सी सामग्रियाँ पूर्व से ही कारा भंडार में मौजूद थी। दिनांक–22.03.2016 तथा 23.03.2016 को आयी अतिरिक्त सामग्रियों की प्रविष्टि दिनांक– 24.03..2016 को बिक्री बही तथा भंडार पंजी में कर ली गई है। इसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– कारा में मँगाये जाने वाले सभी सामग्रियों की प्रविष्टि गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकल में किया जाना है जबकि इनके द्वारा कुछ सामग्रियों की प्रविष्टि करायी गई और कुछ सामग्रियों की प्रविष्टि नहीं करायी गई। कुछ सामग्रियों की प्रविष्टि करायी गई जिसमें मात्रा दर्ज नहीं थी। इनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकल जो गेट में रहना चाहिए उनके Custudy में रहता था। दिनांक–22.03.2016 को अधीक्षक द्वारा पुआ, पुड़ी, दहीबड़ा तथा सब्जी बनाने का निदेश दिया गया था, जबकि तीन–चार तरह की पकौड़ी जिसमें पनीर की पकौड़ी, दहीबड़ा, कचौड़ी, खीर आदि बनाया गया था एवं दिनांक– 23.03.2016 को खस्सी का मीट चावल का मेन्यू दिया गया था। इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी खाना जेल के अन्दर बना उसकी जानकारी इन्हें नहीं है। बिहार कारा हस्तक नियम 168 के अनुसार गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, ईद क्रिसमस के अवसरों पर विशेष त्योहार भोजन दिया जाएगा जो उस दिन के भोजन एवं मात्रा अभिनिश्चय महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार पटना द्वारा समय–समय पर की जाएगी एवं नियम 164(i) स्थानापन्न, आहार की लागत मानक आहार से अधिक या कम न हो 164(ii) उसी समय सभी बंदियों के आहार में उसी तरह का विनिमय किया जाएगा। परन्तु इनके द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया। **अतः श्री पंडित दोषी है।**

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– दूसरे आरोप के संबंध में श्री पंडित ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा जबाव में उल्लेख किया है कि जेल में महत्वपूर्ण पंजियों यथा बिक्री बही, भण्डार पंजी, रोकड़ पंजी इत्यादि का नियमानुसार संधारण किया जाता है, तथा उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता

है। वृत्त अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि दिनांक 22.03.16 एवं 23.03.16 को बंदियों को दिये गये विशेष पकवान बिहार कारा हस्तक के नियम 168 के तहत तथा बिहार कारा हस्तक के नियम 164 (ii) के तहत बंदियों के आहार में विनिमय (Exchange) कर दिया गया। दिनांक 22.03.16 एवं 23.03.16 को कारा में आये सामग्रियों की प्रविष्टि संभवतः होली पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए कारा की विधि व्यवस्था में व्यस्त होने के वजह से नहीं की जा सकी। दिनांक 22.03.16 एवं 23.03.16 को विशेष भोजन बनाने में उपयोग हुयी सामग्रियों में बहुत सी सामग्रियों पूर्व से ही कारा भण्डार गृह में मौजूद थी। दिनांक 22.03.16 एवं 23.03.16 को आई अतिरिक्त सामग्रियों की प्रविष्टि तत्क्षण नहीं किया जाना होली पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए विधि व्यवस्था में व्यस्त होना था जिसके लिए वरीय पदाधिकारी से पत्राचार भी किया गया था। अतिरिक्त सामग्रियों की प्रविष्टि दिनांक 24.03.16 को विक्री बही तथा भण्डार पंजी में कर ली गयी थी। इसके पीछे कोई गलत मंशा न हीं थी।

आरोप संख्या– (iii) दिनांक–22.03.2016 तथा दिनांक–23.03.2016 को कारा में बाहर के कारीगर को बुलाकर विशेष पकवान बनवाया गया। जेल परिसर में इस तरह बिना किसी प्रविष्टि के बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निःसंदेह कारा सुरक्षा एवं संसीमित अन्य बंदियों की सुरक्षा के प्रतिकूल है। कारा में चिकेन की जगह पर खस्सी का मीट बनाया गया। इनका यह कृत्य उनकी कर्त्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता का द्योतक है। साथ ही यह इनकी कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल कार्य करने एवं कारा की सुरक्षा को खतरे में डालने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

स्पष्टीकरण :– बंदियों के विशेष आग्रह पर विशेष भोजन में सामग्री तथा पैसा दोनों खर्च होता है परन्तु बंदियों द्वारा पकवान बनाये जाने पर पकवान सही एवं स्वादिष्ट नहीं बन पाता है। इसलिए बाहर से कारीगर मंगाकर पकवान बनाया गया। फलतः बंदियों के अनुरोध एवं बिहार कारा हस्तक के नियम 527(ii) के आलोक में संवेदक के माध्यम से बाहर से कारीगर को बुलाकर पकवान बनवाया गया तथा कारीगरों की गेट पंजी में नियमानुसार जाँच कर प्रविष्टि दर्ज की गई तथा नियमानुसार हाथ पर मुहर लगाया गया था, जिसकी सत्यता की जाँच, जाँच–दल द्वारा भी की गई थी। इसमें बंदियों की सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखा गया था। कारा में चिकेन की जगह खस्सी का मीट बनाया गया, के संबंध में कहना है कि बंदियों के अनुरोध पर ही चिकेन की जगह खस्सी का मीट बनाया गया था।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–अपने तीसरे आरोप के संबंध में इन्होंने कहा है कि कारा हस्तक नियम 527(i) बंदियों के किसी समूह द्वारा भूख हड़ताल का मदद लेने की स्थिति में उन्हें जितनी जल्दी हो सके अन्य बंदियों से अलग किया जाएगा। 527(ii) बंदियों द्वारा खाना बनाने एवं भोजन तैयार करने से इन्कार करने की स्थिति में अधीक्षक अस्थायी रूप से बाहर से या बाह्य स्रोत रसोई प्रबंधन से रसोईया किराए पर लाएगा। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बंदी भूख हड़ताल पर नहीं थे और न ही खाना बनाने से इन्कार किया गया था। उपरोक्त परिस्थिति में इनके द्वारा कारा हस्तक नियम का पालन नहीं किया गया, **जिसके लिए वे दोषी हैं।**

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– तीसरे आरोप के संबंध में आरोपित का कहना है कि बंदियों के विशेष आग्रह पर बिहार कारा हस्तक के नियम 527 (ii) के तहत संवेदक के माध्यम से बाहर से कारीगर को बुलवाकर पकवान बनवाया गया तथा कारीगरों की गेट पंजी में नियमानुसार जाँच कर प्रविष्टि दर्ज की गई, तथा नियमानुसार उनके हाथ पर मुहर लगाया गया था, जिसकी सत्यता की जाँच दल द्वारा भी की गई थी। इस संबंध में कहना है कि कारा में भवन मरम्मतीकरण से संबंधित ठेकेदार बाहर से कारीगर एवं मजदूर बुलाते है और उनके नामों की प्रविष्टि जेल गेट के रजिस्टर में की जाती है। इसमें बंदियों की सुरक्षा का पूर्ण ख्याल रखा गया था। कारा में चिकेन की जगह खस्सी का मीट बनाया गया के संबंध में कहना है कि बंदियों के अनुरोध पर ही चिकेन की जगह खस्सी का मीट बनाया गया था।

आरोप संख्या–(iv) कारा के मुख्य द्वार में संधारित किये जाने वाली गेट पंजी (Gate Register of Articles) गेट वार्डर के पास नहीं रहता है, बल्कि इसे इनके द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा जाता था एवं उसमें इनके द्वारा अपनी सुविधानुसार इन्ट्री की जाती है, जो बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम संख्या–828 (iii) का खुला उल्लंधन है। दिनांक 22.03.2016 तथा 23.03.2016 को भोजन बनाने हेतु जो भी सामग्री जेल गेट के भीतर लायी गई उसमें बहुत सारे सामग्री की इन्ट्री जेल गेट सामग्री पंजी एवं भंडार पंजी पर दर्ज नहीं की गई थी।

स्पष्टीकरण :– गेट रजिस्टर, बिक्री बही गेट वार्डर के पास नहीं रहता है बल्कि उनके पास रहता है, के संबंध में आरोपित का कहना है कि काराधीक्षक, वृताधीक्षक, जिला पदाधिकारी एवं माननीय न्यायालय के द्वारा समय–समय पर किये गये जाँच प्रतिवेदन में इस तरह की बात सामने नहीं आयी है।

यद्यपि जाँच दल के द्वारा बिक्री पंजी का संधारण बिहार कारा हस्तक नियम 828(iii) के अनुसार गेट वार्डर का है। उक्त पंजी का संधारण गेट वार्डर द्वारा किया जाता है। अतः इनके ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– जाँच के क्रम में कहना है कि इन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया है कि गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकल जो गेट में रहना चाहिए उनके Custody में रहता है, जबकि गेट रजिस्टर ऑफ आर्टिकल द्वार कक्षपाल के पास रहनी चाहिए। इनके द्वारा कारा हस्तक नियम 828 का उल्लंघन किया गया है, **जिसके लिये वे दोषी हैं।**

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– चौथे आरोप के संबंध में आरोपित का कहना है कि काराधीक्षक, वृत्ताधीक्षक, जिला पदाधिकारी, माननीय न्यायालय के द्वारा समय–समय पर किये गये जाँच प्रतिवेदन में इस तरह की बात सामने नहीं आयी है। यद्यपि जाँच दल के द्वारा बिक्री पंजी माँगे जाने पर गेट वार्डर श्री रमेश कुमार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। उक्त पंजी का संधारण का दायित्व बिहार कारा हस्तक नियम 828 (iii) के अनुसार गेट वार्डर का है। अतः उनके ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है।

आरोप संख्या–(v) कारा के वार्ड संख्या–19 जिसमें वर्त्तमान में काराधीन विधायक श्री राजवल्लभ यादव संसीमित है, के वार्ड में Sumsung LED TV, DTH कनेक्शन, तथा Microtek Inverter बैटरी इत्यादि उपलब्ध है जो बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम संख्या–182 में प्रावधानित उच्च श्रेणी बंदियों को देय सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

स्पष्टीकरण :– पंचम आरोप के संबंध में वार्ड नं0 19 में कोई भी अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं दी गयी थी। उच्च श्रेणी विचाराधीन बंदी राजबल्लब यादव को सुविधा देने की सूचना जिला पदधिकारी नालन्दा तथा प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार पटना को पत्रांक–456 दिनांक–11.03.2016 के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी थी। वैसे भी कारा हस्तक नियम 391 में सामग्रियों की सूची से संबंधित आरोप में दर्शाया गया, सामग्रियों का नाम नहीं है और न ही उससे कारा की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :– सहायक अधीक्षक, श्री रामनन्दन पंडित ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वार्ड नं0–19 में संसीमित राजबल्लब यादव, माननीय विधायक को जेल मेन्यूअल के अनुसार चौकी, गद्दा, तकिया, चादर, टेबुल, कुर्सी, TV, DTH कनेक्शन दिया गया है। दिनांक–23.03.2016 को जाँच दल के साथ वार्ड संख्या–19 के निरीक्षण में दो विचाराधीन कैदी वार्ड के अन्दर पाये गये, जबकि प्रावधान एक का ही है। उक्त परिपेक्ष्य में कहना है कि बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 182 में वर्णित सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधा देकर सहायक अधीक्षक द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन किया गया है, **जिसके लिए वे दोषी हैं।**

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :– पाँचवा आरोप के संबंध में आरोपित का कहना है कि वार्ड नं0 19 में कोई भी अतिरिक्त सुविधाएँ नहीं दी गयी थी। उच्च श्रेणी विचाराधीन बंदी राजबल्लभ यादव को सुविधा देने की सूचना जिला पदाधिकारी, नालन्दा तथा प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को पत्रांक 456 दिनांक 11.03.16 के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी थी। वैसे भी कारा हस्तक नियम 391 में सामग्रियों की सूची से संबंधित आरोप में दर्शाया गया, सामग्रियों का नाम नहीं है, और न ही उसमें कारा की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है।

आरोप संख्या– (vi) उपरोक्त के आलोक में उनका यह कृत्य उनकी प्रशासनिक विफलता, कर्त्तव्यहीनता एवं कदाचार का द्योतक है। साथ ही यह बिहार कारा हस्तक 2012 के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।

स्पष्टीकरण :– आरोपित का अपने स्पष्टीकरण में कहना है कि उनके ऊपर लगाये गये आरोप बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनके पदस्थापन अवधि दिनांक–12.11.2013 से दिनांक–27.03.2016 तक की अवधि में कारा में किसी तरह की कमी तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। जैसा कि वृत अधीक्षक, जिला पदाधिकारी तथा माननीय न्यायालय के निरीक्षण/तलाशी प्रतिवेदन से स्पष्ट है। वे पूरी तटस्थता तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ अनुशासित ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते है तथा वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करते है। उन्होंने अपने अल्प अवधि के कारण कर्तव्य निर्वहन करने में हुई कुछ त्रुटि के लिए क्षमा याचना की है। यह भी उल्लेख किया है कि उनके द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम :–आरोपित द्वारा कारा के महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया। वास्तविक रूप में जो भी सामग्रियाँ लायी जाती थी उसकी प्रविष्टि सामग्री

पंजी में तत्क्षण नहीं किया जाता था। कारा में बंद बंदी को नियम के विरूद्ध अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई। उक्त बातों को उन्होंने अपने बयान में स्वीकार भी किया है **जिसके लिए वे दोषी हैं।**

द्वितीय कारण पृच्छा जवाब :–छठे आरोप के संबंध में आरोपित का कहना है कि लगाये गये आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पदस्थापन अवधि दिनांक 12.11.13 से दिनांक 27.03.16 तक की अवधि में कारा में किसी तरह की कमी तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। जैसा की वृत्त अधीक्षक, जिला पदाधिकारी तथा माननीय न्यायालय के निरीक्षक/तलाशी प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम नन्दन पंडित के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, श्री पंडित द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब एवं संचिका में उपलब्ध अन्य अभिलेखों, कारा हस्तक के प्रावधानों एवं विभागीय अनुदेशो के आलोक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा कारा की महत्वपूर्ण पंजियों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाता था तथा वास्तविक रूप में जो सामग्रियाँ कारा के अन्दर लायी जाती थी उसमे बहुत सारे सामग्रियों की प्रविष्टि जेल गेट सामग्री पंजी एवं भंडार पंजी में दर्ज नहीं की जाती थी। साथ ही उक्त पंजी को नियम–828 (iii) के विरूद्ध श्री पंडित द्वारा अपने पास रखा जाता था। जेल परिसर तथा वार्ड संख्या–19 जिसमें विधायक राजबल्लभ यादव संसीमित थे, के वार्ड में कारा हस्तक में प्रावधानित देय सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की गई थी। श्री पंडित द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में कोई ठोस एवं तार्किक तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। श्री पंडित द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान अपने बचाव में संचालन पदाधिकारी को दिये गये तथ्यों की ही पुनरावृति की गई है। उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्व से बचने मात्र के उद्देश्य से अप्रासंगिक तथ्यों का सहारा लिया गया है। गठित आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री पंडित का द्वितीय कारण पृच्छा जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

5. अतः श्री राम नन्दन पंडित, सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ (सम्प्रति निलंबित) संलग्न मंडल कारा, अररिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत् निम्न वृहत् दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

" सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड (Dismissal from service)"।

श्री पंडित को निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

3/11

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(स0अधी0)–03–07/2016 6745 दिनांक– 4-11-16

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया/मंडल कारा, बिहारशरीफ/आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना तथा श्री रामनंदन पंडित, सहायक अधीक्षक (सम्प्रति निलंबित) संलग्न मंडल कारा, अररिया/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना–01, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

3. अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया को निदेश है कि आदेश की प्रति श्री पंडित को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

4. सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा एवं उपकारा को सूचनार्थ प्रेषित।

5. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/16

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।